कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2021 360 दिनांकः07 मई 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 548 / पॉच–5–2020, दिनांकः14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (सप्तम् संसोधन) दिनांकः 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांकः 30 जून 2021 तक या जब तक अगेत्तर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

जनपद बाराबंकी में सचालित कोविड चिकित्सालय में **एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से भर्ती मरीजों निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं प्राईवेट वार्ड में भर्ती मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्व है।**

उक्त के कम में जनपद बाराबंकी में संचालित कोविड चिकित्सालयों द्वारा निःशुल्क वार्ड / सशुल्क वार्ड में भर्ती मरीजों को उपचारोपरान्त चिकित्सालय द्वारा दिये जा रहे बिलों का परीक्षण प्रतिदिन करने हेतु निम्नलिखित कार्मिकों / अधिकारियों को नामित किया जाता है।

कसं	चिकित्सालय का नाम	बिल बाउचर्स परीक्षण हेतु नामित लेखाकार	मोबाईल नं0	नामित मजिस्ट्रेट	नामित नोडल चिकित्सा अधिकारी
1	एल–2 हिन्द मेडिकल कालेज बाराबंकी	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, लेखाकार, कार्यालय उप जिला निदेशक, बाराबंकी	941515004	श्री सचिन वर्मा, प्रोबेशन उप जिलाधिकारी	डा0 सौरभ शुक्ला,
2	एल–3 मेयो मेडिकल कालेज बाराबंकी	श्री तेज प्रकाश यादव, लेखाकार, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक	9450646681	श्री सुरेन्द्र, तहसीलदार	डा0 निखिल यादव
3	शेरवुड हास्पिटल, सफेदाबाद, बाराबंकी	श्री मोती लाल, लेखाकार, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक बाराबंकी	9956296454		डा0 उपेन्द्र कुमार
4	आस्था हास्पिटल, देवा रोड अधिकारी	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी, कार्या0	9793423389		

उपरोक्त नामित लेखाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे चिकित्सालय हेतु नामित मजिस्ट्रेट एवं नोडल चिकित्सा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करते हुए कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों यदि वे निःशुल्क वार्ड से आच्छादित है, तो कोई शुल्क तो नही लिया गया। यदि प्राईवेट वार्ड से डिस्चार्ज हो रहे है, तो संलग्न शासनादेश के अनुरूप ही निर्धारित शुल्क का भुगतान चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिया गया है अथवा नही का परीक्षण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की अनियमित्ता प्रकाश में आती है तो तत्काल उप जिलाधिकारी नवाबगंज बाराबंकी को अवगत करायें।

डीन / प्रधानाचार्य, हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज, सफेदाबाद एवं मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज, गदिया, बाराबंकी एवं प्रबन्धक, शेरवुड हास्पिटल एवं आस्था हास्पिटल बाराबंकी को निर्देश दिये जाते है कि वे नामित अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सक्रंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

संलग्नकःयथोक्त।

(डा0आदर्श सिंह)
जिला अधिकारी
बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2021 7069 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–ः

1. आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्य / लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–ः

3. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
5. उप जिला अधिकारी, बाराबंकी नवाबगंज बाराबंकी।
5. सबंधित लेखाकार।
6. डीन / प्रधानाचार्य, मेया एवं हिन्द मेडिकल कालेज बाराबंकी
7. प्रबन्धक, शेरवुड एवं आस्था हास्पिटल बाराबंकी।

जिला अधिकारी
बाराबंकी